...ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

...पत्र संख्या :–132/2018 दायर दिनांकः 11.10.2018
GCMS NO:- 2018/00234
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. फून्दीलाल आ0 सोन्या जाति मीणा निवासी जगमून्दा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
 1/1. रमेश आ0 फून्दीलाल जाति मीणा निवासी जगमून्दा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
 1/2. भंवरलाल आ0 फून्दीलाल जाति मीणा निवासी जगमून्दा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
 1/3. रामसागर आ0 फून्दीलाल जाति मीणा निवासी जगमून्दा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
 1/4. राजकुमार आ0 देवलाल जाति मीणा निवासी जगमून्दा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
 1/5 राजेन्द्र आ0 देवलाल जाति मीणा निवासी जगमून्दा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी (अल्पवयस्क) जर्ये वली माता रमेशी बाई
 1/6 रमेशी बाई पत्नी स्व0 देवलाल जाति मीणा निवासी जगमून्दा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
 1/7 नारायणी बाई पत्नी स्व. आ0 फून्दीलाल जाति मीणा निवासी जगमून्दा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

2. मोती आ0 सोन्या जाति मीणा निवासी जगमून्दा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी। तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. मडी पुत्री सोन्या जाति मीणा निवासी जगमून्दा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी। तहसील नैनवॉ जिला बून्दी हाल पत्नी छीतरलाल जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

– वादीगण–

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89,92ए,188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–
वादीगण और प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 26.10.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जगमून्दा पटवार मण्डल डोकून तहसील नैनवां की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 162 के अनुसार खसरा संख्या 20 रकबा 02–02 बीघा, खसरा संख्या 35 रकबा 05–16 बीघा, खसरा संख्या 182 रकबा 05–10 बीघा, खसरा संख्या 183 रकबा 04–10 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बतौर लीजदार दर्ज है। तथा जिसमें वादीगण आज से करीबन 90 वर्षो से पुश्तैनी रूप से लगातार खेती काश्त करते चले आ रहे है। तथा वर्तमान में भी काबिज रहकर कृषि कार्य कर रहे है। यह कि वादीगण ने अपने आपको लीजदार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु नियमानुसार प्रतिवादी को आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन कोई कार्यवाही नही होने से वादी ने वाद प्रस्तुत किया है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि पर अपने आप को खातेदार कृषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:15:21 IST
Reason: SelfAttested

...वाये तथा उसका अंकन समस्त राजस्व रिकार्ड में करवाये। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन ... जमाबन्दी, नकल खसरा गिरदावरी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां ने अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त विवादित भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 17–18 बीघा में वादीगण 1 लगायत 2 हिस्सा 8/9 व वादी संख्या 3 हि0 1/4 पर लीजदार दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में भी वादी 1 लगायत 3 उक्त खसरान पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है।

हमने वाद–पत्र, शपथ पत्र जवाब तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट डोकून में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित भूमि पर लीजदार दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम जगमून्दा पटवार मण्डल डोकून तहसील नैनवां की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 162 के अनुसार खसरा संख्या 20 रकबा 02–02 बीघा, खसरा संख्या 35 रकबा 05–16 बीघा, खसरा संख्या 182 रकबा 05–10 बीघा, खसरा संख्या 183 रकबा 04–10 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर वादीगण को लीजदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नैनवां को डिक्री पर्चा जारी कर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवाँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:15:21 IST
Reason: SelfAttested